सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 186 राँची, बुधवार, 21 अप्रैल, 2022 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

20 अप्रैल, 2022

संख्या-02/कृ0गो0रा0 - 31/2017 (Part 4)-- श्री अरुण कुमार, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, गुमला सम्प्रति जिला उद्यान पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में संचालित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिरूचि नहीं लेने एवं उक्त योजनाओं के लिये आवंटित राशि का व्यय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहने के कारण इनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में सन्निहित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या - 913 दिनांक - 10.06.2020 के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम - 17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री गौरी शंकर मिंज, संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जांच पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड राँची को संचालन

पदाधिकारी एवं श्री कपिलदेव पंडित, तत्कालीन अवर सचिव, कृषि निदेशालय, कांके, राँची को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रक्रिया को संपादित करते हुए पत्रांक-442(अनु0) दिनांक-28.10.2021 से उक्त विभागीय कार्यवाही से संदर्भित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में श्री कुमार के विरूद्ध गठित सभी तीनों आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया । परंतु विभागीय समीक्षा के क्रम में पत्रांक - 124 दिनांक - 18.01.2022 द्वारा श्री कुमार से कतिपय बिन्दुओं पर बचाव बयान / स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्क्रम में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए तथा संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार को भविष्य में सचेत रहकर कार्य करने की हिदायत के साथ आरोप मुक्त करते हुए प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप से निष्पादित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आनन्दमय बनर्जी,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 186 -- 50